भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2298

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनर्जी ड्रिंक्स में मिलावट

2298. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर मिलावटी एनर्जी ड्रिंक्स बेचे जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मिलावटी पेय पदार्थों में कैफीन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण बड़ी संख्या में लोग कैंसर, पक्षाघात और हृदय रोगों के शिकार हो रहे हैं और यदि हां, तो देश में अब तक दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मिलावटी एनर्जी ड्रिंक्स के निर्माताओं और विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफ़एसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

एफ़एसएसएआई ने दिनांक 28.03.2024 की अपनी एडवाइजरी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 'हेल्थ ड्रिंक' को एफ़एसएस अधिनियम, 2006 अथवा उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम एवं विनियम के तहत कहीं भी परिभाषित/मानकीकृत नहीं किया गया है। अतः 'प्रोप्राइटरी फूड' के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त वे खाद्य उत्पाद, जिनकी निकटतम श्रेणी डेयरी आधारित पेय मिश्रण या अनाज आधारित पेय मिश्रण या माल्ट आधारित पेय है, और जिन्हें ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर 'हेल्थ ड्रिंक' 'एनर्जी ड्रिंक' श्रेणी के अंतर्गत बेचा जा रहा है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट से ऐसे पेय/पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक/एनर्जी ड्रिंक' श्रेणी से हटाएँ/डी-लिंक करें तथा ऐसे उत्पादों को वर्तमान कानून के अनुसार उपयुक्त श्रेणी में रखें।

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के अनुसार, कैफीनयुक्त पेय में "उत्पाद के निर्माण में किसी भी स्रोत से प्राप्त कुल कैफीन की मात्रा प्रति लीटर 145 मि.ग्रा. से कम तथा 300 मि.ग्रा. प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।" इसके अतिरिक्त, उत्पाद के लेबल पर यह घोषणा अंकित होना आवश्यक है: "प्रतिदिन 500 मि.ली. से अधिक सेवन न करें।" ये मानक एफएसएसएआई के स्वतंत्र वैज्ञानिक पैनलों तथा वैज्ञानिक समिति द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों, डायटरी एक्सपोज़र और देश-विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए वैज्ञानिक जोखिम आकलन के आधार पर निर्धारित किए गए हैं तथा ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के प्रति पर्याप्त रूप से सामंजस्यपूर्ण हैं।

एफएसएसएआई ने खाद्य उत्पादों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए "#नो टू अडल्ट्रेशन", "हाउ टू चेक फॉर अडल्ट्रेशन" जैसे जागरूकता अभियान चलाना तथा मोबाइल फूड टेस्टिंग प्रयोगशाला (एमएफ़टीएल) या "फूड सेफ़्टी ऑन व्हील्स" (एफ़एसडब्ल्यू), और फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स के लिए धन उपलब्ध कराना जैसे कई उपाय किए हैं। एफ़एसएसएआई ने मिलावट का पता लगाने के लिए रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग (रैपिड) किटों को मंजूरी दी है और डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट (डीएआरटी) पुस्तिका प्रकाशित की है।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2026–27 के दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 के उल्लंघन के लिए खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफ़बीओ) को 15 नोटिस जारी किए गए हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान मिलावट के मामलों सहित मानकों के अनुरूप न पाए गए खाद्य उत्पादों के विरुद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेय पदार्थ एवं कैफीनयुक्त पेय पदार्थ सहित प्रवर्तन का विवरण				
वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	सिविल मामले	आपराधिक मामले
			शास्ति के साथ निर्णीत	दोषसिद्धियों की संख्या
2025-26*	223,808	40023	31878	1918

* वित्त वर्ष 2025–26 के लिए डेटा अनंतिम है और आगे की प्रयोगशाला जाँच तथा न्यायालयीन कार्यवाही के परिणामों के आधार पर संशोधन के अधीन है।

नोट- शुरू किए गए मामले और लगाई गई शास्ति में पिछले वर्ष विश्लेषित किए गए नमूनों का डेटा भी शामिल है।
